

४१



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360 ]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2000/आषाढ़ 12, 1922

No. 360]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2000/ASADHA 12, 1922

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2000

सा. का. नि. 581(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की आरा 60 की उपथारा (2) के खंड (छ) और थारा 200 की उपथारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल ('आलिह लाइन') साधारण नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल ('आलिह लाइन') साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रकृत होंगे।

2. भारतीय रेल ('आलिह लाइन') साधारण नियम, 1976, के नियम 3.81 में :—

(i) उप नियम (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) इसके अतिरिक्त, स्टेशन बास्टर की लिखित अनुमति द्वारा प्रस्थान (स्टॉपर) सिग्नल या कांटी का व्याप करते यात्रा अधिग्रहण (एड्वांस्ड स्टॉपर) सिग्नल "ऑन" या खण्ड होने पर वह उसे तब तक यास नहीं करेगा जब तक कि उसे सिग्नल पर तैनात किसी चाला विधि प्राधिकृत स्टेशन कर्मचारी से "आगे छढ़ो" हँड सिग्नल नहीं मिल जाता, अथवा",

(ii) उप नियम (2) का लोप किया जाएगा, और उसके पश्चात् उप नियम (3) को उप नियम (2) के रूप में मुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[सं. 99/सेफटी(ए पैड आर)/19/5]

जांच नामांयण, सदस्य यातायात सदा पदेन सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 21 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

- (1) सा.का.नि. 320, दिनांक 16 अप्रैल, 1983
- (2) सा.का.नि. 352, दिनांक 30 अप्रैल, 1983
- (3) सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 27 जून, 1983
- (4) सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 28 जून, 1984

- (5) स.क्र.नि. 245, दिनांक 23 मई, 1992
- (6) स.क्र.नि. 83, दिनांक 17 फरवरी, 1996
- (7) स.क्र.नि. 101, दिनांक 23 मई, 1998
- (8) स.क्र.नि. 47, दिनांक 13 फरवरी, 1999
- (9) स.क्र.नि. 213(ब), दिनांक 18 मार्च, 1999, और
- (10) स.क्र.नि. 283(ब), दिनांक 26 अप्रैल, 1999.

### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2000

G.S.R. 581(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60, and clause (a) of sub-section (2) of section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2000.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in rule 3.81,—
  - (i) In sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 

"(a) by a written permission from the Station Master, in addition, in the case of a Starter, or Advanced Starter protecting points, he shall not pass such signals, when "on" or defective, unless he also receives a "Proceed" hand signal from a duly authorised member of the station staff posted at the signal, or";
  - (ii) sub-rule (2) shall be omitted, and thereafter sub-rule (3) shall be renumbered as (2).

[No. 99/Safety(A&R)/19/5]

SHANTI NARAIN, Member Traffic and Ex-Officio Secy.

NOTE : The principal rules were published vide notification number GSR 443(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended vide Notifications number:—

- (1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
- (2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
- (3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,
- (4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,
- (5) G.S.R. 245 dated the 23rd May, 1992,
- (6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,
- (7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
- (8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
- (9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999, and
- (10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999.